



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23062023-246778  
CG-DL-E-23062023-246778

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2635]  
No. 2635]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 23, 2023/आषाढ़ 2, 1945  
NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 23, 2023/ASHADHA 2, 1945

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय  
(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जून, 2023

सं. 13 / 2023

विषय: एचएस कोड 2610 की निर्यात नीति में संशोधन।

**का.आ. 2755(अ).**—विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित, यथासंशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की सं. 22) की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा क्रोम अयस्क से संबंधित एचएस कोड 2610 के तहत मदों की निर्यात नीति को निम्नानुसार संशोधित करती है:

क्र.सं.	एचएस कोड	मद विवरण	निर्यात नीति	नीतिगत शर्त	संशोधित निर्यात नीति	संशोधित नीतिगत शर्त
	2610	क्रोमियम अयस्क और कान्सन्ट्रेट				
108क	26100010	क्रोम अयस्क लम्स, जिसमें Cr <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 47% और इससे अधिक हो।	मुक्त	-	प्रतिबंधित	
108ख	26100020	क्रोम अयस्क लम्स जिसमें 40% या इससे अधिक लेकिन 47% से कम Cr <sub>2</sub> O <sub>3</sub> हो।	मुक्त	-	प्रतिबंधित	प्राधिकार पत्र के तहत निर्यात की अनुमति है।

109	26100030	क्रोम अयस्क लम्पस जिसमें Cr <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 40% से नीचे हो।	एसटीई	एमएमटीसी लिमिटेड के माध्यम से निर्यात	प्रतिबंधित
110	26100040	क्रोम अयस्क फ्रायबल और कान्सन्ट्रेट फिक्सेस जिसमें Cr <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 47% और इससे अधिक हो।	एसटीई	एमएमटीसी लिमिटेड के माध्यम से निर्यात	प्रतिबंधित
111	2610 0090	अन्य	एसटीई	एमएमटीसी लिमिटेड के माध्यम से निर्यात	प्रतिबंधित

## 2. इस अधिसूचना का प्रभाव:

एचएस कोड 2610 के तहत निर्यात मदों को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया है।

[फा. सं. 01/91/191/120/एम-23/ईसी/ई-35147]

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

### MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd June, 2023

**No. 13 /2023**

#### Subject: Amendment in Export policy of HS Code 2610.

**S.O. 2755(E).**—In exercise of powers conferred by Section 3 read with section 5 of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992 (No. 22 of 1992), as amended, read with Para 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2015-20, the Central Government hereby amends Export Policy of items under HS Code 2610 related to Chrome Ore, as under:

S.No.	HS Code	Item Description	Export Policy	Policy Condition	Revised Export Policy	Revised Policy Condition
	2610	Chromium Ores and Concentrates				
108A	26100010	Chrome ore lumps, containing 47% Cr <sub>2</sub> O <sub>3</sub> and above	Free	-	<b>Restricted</b>	Export permitted under Authorisation.
108B	26100020	Chrome ore lumps containing 40% or more but less than 47% Cr <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	Free	-	<b>Restricted</b>	
109	26100030	Chrome ore lumps below 40% Cr <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	STE	Export through MMTC Limited	<b>Restricted</b>	
110	26100040	Chrome ore friable and concentrates fixes containing 47% Cr <sub>2</sub> O <sub>3</sub> and above	STE	Export through MMTC Limited	<b>Restricted</b>	
111	26100090	Other	STE	Export through MMTC Limited	<b>Restricted</b>	

#### 2. Effect of the Notification:

The export items under HS Code 2610 have been placed under restricted category with immediate effect.

[F. No. 01/91/191/120/AM23/EC/E-35147]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade Ex-Officio Addl. Secy.